न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00123RAAJodhpur2019-30RTA223 Babulal Vs Kanaram etc

बाबुलाल पुत्र हजारीराम जाति सरगरा, निवासी- उचियारड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. कानाराम पुत्र गोपाराम
2. मैनादेवी पुत्री गोपाराम पत्नी चैनाराम
   जातियान् सरगरा, निवासी- उचियारड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
3. छैलाराम पुत्र गोपाराम
4. पानीदेवी पत्नी शिवलाल
5. रमेश पुत्र शिवलाल
6. दुर्गाराम पुत्र शिवलाल
7. दुर्गादेवी पुत्री शिवलाल
8. लीलादेवी पत्नी कानाराम
   जातियान् सरगरा, निवासी- उचियारड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 जून 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 88/2012 कानाराम व अन्य बनाम बाबुलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 03 अगस्त 2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 88/2012 कानाराम व अन्य बनाम बाबुलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 जून 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 मार्च 2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1445 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 1509 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 1490 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नं. 1521 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा नं. 1510 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा {आधा हिस्सा} ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जून 2017 को वादीगण एवं राजकीय पैरोकार को सुनकर वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

महज कयासी दलीलो पर वादीगण का दावा डिक्री करने में भारी भूल की है, जबकि वादीगण अपने दावे को दस्तावेजी अथवा जबानी शहादत से कतई साबित नहीं कर सके थे। पत्रावली पर विधमान साक्ष्य के आधार पर तो दावा हर सूरत में खारिज होने योग्य था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय अनाधिकार पूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है। वाद पत्र के वाद कथनों को देखते हुए उक्त वाद की सुनवाई करने के विचारण न्यायालय को कोई अधिकार नहीं थे, क्योंकि वाद पत्र में बेचान पत्र धोखे एवं बेईमानी से निष्पादित करवा लिये जाने का उल्लेख है एवं ऐसे वाद पत्र की सुनवाई कानूनन राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का जवाब मनमाने ढंग से बंद करते हुए अदालत में विचाराधीन पत्रावली को शिविर में ले जाकर निर्णित कर दिया, जबकि राजस्व शिविर मे केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें पक्षकार के बीच आपसी सहमति हो, परन्तु किसी भी सूरत में कन्टेस्टेड वाद को शिविर में ले जाकर निर्णित नहीं किया जा सकता है। सामानान्तर न्यायालय स्थापित करने के अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं थे। अपीलार्थी के पक्ष में वर्षो पूर्व विवादग्रस्त भूमि के संदर्भ में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। जिस विक्रय विलेख को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। इस कारण उस विक्रय पत्र के बहाल रहते वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उनके पक्ष में कोई घोषणात्मक डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के वाद कथनों एवं वाद में मांगे गये अनुतोष के विपरीत जाकर दावे में डिक्री जारी की है। किसी भी सूरत में अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निष्प्रभावी संपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में दिवानी न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय दिनांक 18.01.2016 का उल्लेख किया है, उस निर्णय से अपीलार्थी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है। वह निर्णय अन्य बेचान पत्र के निरस्तीकरण हेतु पेश किया गया था तथा उस वाद में अपीलार्थी कोई पक्षकार भी नहीं था। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में ऐसे दस्तावेजो को आधार माना है जो वर्तमान मामले से कोई ताल्लुक नहीं रखते। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र धारा मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में पैरवी करने हेतु अपीलार्थी की ओर से वकील मुकर्रर किये हुए थे तथा उन्होंने अपीलार्थीगण का आश्वस्त किया था कि जब भी पेशी पर आने की आवश्यकता होगी, उन्हें सूचित कर दिया जावेगा, परन्तु उन्होने बिना अपीलार्थी को सूचित किये ही पैरवी करना बंद कर दिया एवं विचारण न्यायालय ने भी अपीलार्थी को इसकी कोई सूचना नहीं देकर पत्रावली को कैम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णय कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलाधीन निर्णय पारित करने के पश्चात बाला-बाला राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज बदल दिये गये एवं दिनांक 15.02.2019 को रेस्पोडेंट वादीगण ने अकस्मात आकर विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया एवं कहां कि उनके पक्ष में फैसला हो गया है, तब अपीलार्थी ने अपने वकील से सम्पर्क किया जो उन्होने बताया कि पत्रावली कैम्प में ले जाकर उन्हे सूचित किये बिना निर्णित कर दी गई। तब उसी दिन अपीलांट ने नकल के लिए अर्जी पेश करवाई जो नकल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 20.02.2019 को उपलब्ध करवाई गई। तब नकल प्राप्त होने पर दिनांक 20.02.2019 को इसकी प्रथम जानकारी हुई इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट द्वारा प्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश की गई है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 88/2012 कानाराम व अन्य बनाम बाबुलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 जून 2017 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बरना में रखी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। पत्रावली दिनांक 15.06.2017 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार में रखे जाने की सूचना पक्षकारान् को दिये जाने बाबत नोटिस अथवा सूचना पत्रावली पर नहीं है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अभिलेख मुताबिक अपीलांट बाबुलाल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 1445 रकबा 08

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 1490 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा तथा खसरा नं. 1510 रकबा 4 बीघा 17 बीघा{आधा हिस्सा} पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 29.08.1990{अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 50 से 54} के जरिये तत्समय की जमाबंदी संवतः 2046-2049 ग्राम बरना में दर्ज रेकर्डेड खातेदार छेलाराम पुत्र गोपाराम, पानी बेवा स्व. शिवलालजी व उसके नाबालिग पुत्रान रमेश व दुर्गाराम पिसरान् शिवलालजी सरगरा जरिये कुदरती वलिया से खरीद किया जाना पाया जाता हैं।

वादीगण द्वारा अपने वाद में कथन किये है कि प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादीगण को धोखा देने की नियत से प्रतिवादी छेलाराम व पानीदेवी को बहला फुसलाकर धोखे से रजिस्ट्री बेचान की है। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय प्रदर्श दस्तावेज यथा- प्रदर्श-19 के मुताबिक अपीलांट बाबूलाल के अलावा वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बिलाड़ा के समक्ष प्रस्तुत दीवानी मूल वाद संख्या 27/2015 में राजीनामा प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 के मुताबिक '' वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर जरिये राजीनामा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 29.08.1990 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट बाबूलाल द्वारा राजीनामा पेश नहीं किये जाने से तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा अनुसार बाबूलाल खरीददार होने से निश्चित रूप से यदि उपरोक्त बेचाननामा व उसके आधार पर भरा गया म्यूटेशन, राजीनामा के आधार पर निरस्त किया जाता है तो निश्चित रूप से खरीददार बाबूलाल के हित प्रभावित होंगे।'' उक्त प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामे से अपीलांट के हित प्रभावित होने से राजीनामा को स्वीकार नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख के प्रभाव में रहते उसे खातेदारी अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता हैं।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के पेज संख्या 62 पर उपलब्ध न्यायालय अपर जिला कलक्टर{द्वितीय} जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 31/2014 अनवान कानाराम व अन्य बनाम बाबुलाल इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2014 के मुताबिक वादीगण द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 435 दिनांक 15.10.1977 जो स्व. गोपाराम की फौतेदगी में भरा गया, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जो म्याद बाधित होने से खारिज की गई।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि होने तथा वादीगण स्व. गोपाराम के विधिक वारिसान् होने से वादग्रस्त आराजी में उनका 1/2 हिस्सा मान भी लिया जाये। प्रतिवादी संख्या दो से पांच द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का पहले से ही अपीलांट बाबूलाल को हस्तांतरण कर दिये जाने से उन्हे पुनः खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुति का अवसर, विवाधकों की विरंचना, एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय होने से समर्थन योग्य नही ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 88/2012 कानाराम व अन्य बनाम बाबुलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री दिनांक 15 जून 2017 खारिज किये जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले में विवाधक विंरचित कर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.08.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर